



उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत आवेदन संख्या - 827 सन् 2026

सुलेमान एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादीगण

आवेदकगण के अधिवक्ता

: पंकज भारती

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता (जी.ए.)

न्यायालय संख्या - 81

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 04.08.2015 के आक्षेपित आरोप पत्र, दिनांक 03.09.2015 के संज्ञान आदेश, दिनांक 03.09.2015 के समन आदेश तथा सम्पूर्ण आगे की कार्यवाही, विशेष वाद संख्या 77 सन् 2015 (राज्य बनाम भूरा एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 141 सन् 2015, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर से उत्पन्न है तथा जो माननीय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, मुजफ्फरनगर के समक्ष लंबित है, को निरस्त किया जाए।

3. पूर्व आदेश दिनांक 16.02.2026 के अनुपालन में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं, जिन्हें अभिलेख पर लिया जाता है। उक्त निर्देशों के आधार पर उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि आवेदक को आधारभूत वाद में माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 के निर्णय एवं आदेश द्वारा दोषमुक्त (निर्दोष) कर दिया गया है।

4. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही निम्नलिखित प्रकरण के आधार पर प्रारंभ की गई थी:-

"(i) अपराध संख्या 79 सन् 2015, धारा 3/5ए/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम तथा धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960, थाना- ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आगे यह भी निवेदन किया गया है कि उपरोक्त अपराध संख्या 79 सन् 2015 के संबंध में आवेदकगण को माननीय विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 07.08.2025 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से दोषमुक्त (निर्दोष) कर दिया गया है, जो कि वाद संख्या 2418/9 सन् 2015 में पारित हुआ है, जिसकी प्रति इस आवेदन के अनुलग्नक संख्या-5 के रूप में संलग्न है।

6. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि चूँकि आधारभूत प्रकरण में आवेदकगण को दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु अभियोजन के पास अब कोई कारण-कारवाई (cause of action) शेष नहीं रह गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि एक बार आधारभूत प्रकरण में आवेदकगण को दोषमुक्त कर दिए जाने के पश्चात, वर्तमान गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही विधिसम्मत रूप से आगे नहीं बढ़ सकती।

7. अपने तर्क के समर्थन में आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने फरहाना बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [2024 0 INSC 118] में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है तथा यह निवेदन किया है कि चूँकि आवेदकगण को आधारभूत प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया गया है, अतः उनके विरुद्ध गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही आगे नहीं चल सकती। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही विधिक दृष्टि से अस्थिर एवं निरस्त किए जाने योग्य है।

8. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदकगण द्वारा की गई प्रार्थना का विरोध करते हुए यह निवेदन किया कि आधारभूत प्रकरण के निरस्तीकरण, दोषमुक्ति अथवा खारिज होने के आधार पर गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्यवाही को निरस्त नहीं अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



किया जा सकता। यह भी निवेदन किया गया कि आक्षेपित आरोप पत्र, जो गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, निरस्त किए जाने योग्य नहीं है।

9. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित परस चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य [आवेदन धारा 482 संख्या 11117 सन् 2024, दिनांक 03.05.2024 को निर्णीत] के निर्णय पर भरोसा किया है।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुनने के पश्चात यह स्पष्ट है कि आधारभूत प्रकरण की कार्यवाही अब आवेदकगण के विरुद्ध लंबित नहीं है तथा एक बार गैंग चार्ट में दर्शित आधारभूत प्रकरण की कार्यवाही निरस्त हो जाने अथवा आवेदकगण के उसमें दोषमुक्त हो जाने पर, उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई कार्यवाही भी निरस्त किए जाने योग्य है।

11. हाल ही में फरहाना (उपर्युक्त) के वाद में, जो दिनांक 19.02.2024 को निर्णीत हुआ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आधार लेते हुए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही निरस्त कर दी कि आवेदक के विरुद्ध दर्शित आधारभूत प्रकरण को उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है। फरहाना (उपर्युक्त) के निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नवत् उद्धृत किए जा रहे हैं:-

"12. गैंगस्टर्स अधिनियम की धारा 2(ख)(i) के साधारण अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कथित गैंग का सदस्य माना जाने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो उन असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाया जाए, जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, 17 या 22 के अंतर्गत दंडनीय अपराधों की श्रेणी में आती हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन द्वारा गैंगस्टर्स अधिनियम के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अंतर्गत जो मामला स्थापित किया गया है, वह केवल धारा 2(ख)(i) तक ही सीमित है, तथा उक्त प्रावधान की अन्य कोई उपधाराएँ प्रस्तावित अभियोजन हेतु प्रयुक्त नहीं की गई हैं।

13. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि गैंगस्टर्स अधिनियम के अंतर्गत आरोप गठित करने तथा उक्त प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन को आगे बढ़ाने के लिए, अभियोजन को यह स्पष्ट रूप से बताना आवश्यक होगा कि अपीलकर्ताओं पर धारा 2(ख) में परिभाषित असामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आने वाले किसी एक या अधिक अपराधों के लिए अभियोजन चलाया जा रहा है।

14. यह तथ्य विवादित नहीं है कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अध्याय XVII भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज एकमात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो कि अपराध संख्या 173 सन् 2019 से संबंधित है, की कार्यवाही में अपीलकर्ताओं को उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 03 मार्च, 2023 के आदेश द्वारा, आवेदन संख्या 7228 सन् 2023 में उक्त एफ.आई.आर. को निरस्त किए जाने के परिणामस्वरूप, दोषमुक्त कर दिया गया है।

15. अतः गैंगस्टर्स अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन को जारी रखने का मूल आधार ही समाप्त हो चुका है और परिणामस्वरूप उक्त अपराध के लिए अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अभियोजन को आगे बढ़ाना अनुचित है तथा यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग के समकक्ष है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16. उपर्युक्त विवेचना के परिणामस्वरूप, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित दिनांक 14 नवम्बर, 2022 एवं 6 दिसम्बर, 2022 के आक्षेपित आदेश निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं।

12. पूर्ववर्ती विवेचना के आलोक में, चूँकि आधारभूत प्रकरण की कार्यवाही अब आवेदकगण के विरुद्ध लंबित नहीं है, अतः दिनांक 04.08.2015 का आरोप पत्र, दिनांक 03.09.2015 का संज्ञान आदेश, दिनांक 03.09.2015 का समन आदेश तथा सम्पूर्ण आगे की कार्यवाही, विशेष वाद संख्या 77 सन् 2015 (राज्य बनाम भूरा एवं अन्य), जो कि अपराध संख्या 141 सन् 2015, धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना- ककरौली, जनपद मुजफ्फरनगर से संबंधित है तथा जो माननीय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-5, मुजफ्फरनगर के समक्ष लंबित है, केवल आवेदकगण के संबंध में एतद्द्वारा निरस्त की जाती है।

13. तदनुसार, वर्तमान आवेदन अनुमन्य किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

दिनांक : 18 मार्च, 2026

राधिका